सुमन बनाम कृष्णलाल आदि   उ०प० 56/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण अच्छी–अच्छी भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि को रहन बैय नहीं करने एवं प्रार्थीया को बेदखल नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद प्रकरण संख्या 76/2024 अनवान कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि व प्रकरण संख्या 88/2024 अनवान अमरसिंह आदि बनाम कृष्णलाल आदि न्यायालय में जैरकार है दोनों प्रकरणों में स्थगन जारी हो चुका है व अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली वास्ते बहस जैरकार है। प्रकरण संख्या 76/2024 में प्रार्थीया सुमन हाजिर हो चुकी है। अब प्रार्थीया ने उक्त प्रकरणों के निस्तारण में देरी करने की नियत से नया वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण संख्या 76/2024 अनवान कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि व प्रकरण संख्या 88/2024 अनवान अमरसिंह आदि बनाम कृष्णलाल आदि तथा उक्त प्रकरणों के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया जिनमें वादग्रस्त भूमि को रहन बैय नहीं करने व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी हो चुका है। जिनमें दिनांक 15.04.2024 को प्रार्थीया जरिये वकील श्री कृष्णकुमार उपस्थित आ चुकी है। जिनमें प्रार्थीया को अपना पक्ष/जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है। लेकिन प्रार्थीया ने अब नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। Sanjay सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:45 IST
Reason: SelfAttested